# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 121/2022

विनोद कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र हरनन्द, जाति माली, निवासी सुलताना, तहसील, चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. मंगलचंद आयु 57 वर्ष पुत्र प्रहलाद, जाति माली, निवासी खातियां वाली ढाणी, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. सोहनलाल आयु 51 वर्ष पुत्र प्रहलाद, जाति माली, निवासी रंगा बाडी, बालाजी नगर, कोटा, मो0 9829345592
3. प्रभुदयाल आयु 46 वर्ष पुत्र प्रहलाद, जाति माली, निवासी कालेज ग्राउण्ड के पास, वार्ड नं0 9, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, चिडावा जिला झुंझुनूं।
5. उपखण्ड अधिकरी चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0टी0 एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी विनोद कुमार वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0टी0 एक्ट मु0न0 143/2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, चिडावा तारीख पेशी दिनांक 13.04.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप बिजारणियां, एडवोकेट— अनावेदक सं0 1 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 4 व 5 की ओर से उपस्थित।
4. अनावेदक सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

दिनांक 22.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी व उसके भाइयों राजेश कुमार, विजेन्द्र कुमार की ओर से अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1450/35 तादादी 1.29 हैक्टर जिसमे प्रार्थीगण काफी वर्षो से आबाद है, फसल की सिंचाई हेतु व पीने के पानी हेतु कुआ बनाया हुआ है मे आवागमन हेतु रास्ता कायत किये जाने के लिए अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया जो अदालत मातहत मे लम्बित है। पूर्व मे तहसीलदार चिडावा की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट के बाबत अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से उठाई गई आपत्ति के बाबत पुनः मौका रिपोर्ट कार्यवाही ... के बाबत प्रार्थी की ओर से दिनांक 04.03.2022 को उक्त मौका रिपोर्ट गिरदावर के बाबत स्पष्ट करण प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अप्रार्थीगण को दी गई तथा प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.03.2022 वास्ते जबाब दी गई। दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब नहीं दिये जाने पर पत्रावली ... बहस दरख्वास्त दिनांक 25.03.2022 दी गई। इसी बीच प्रार्थी को जानकारी मिली कि अप्रार्थीगण ... अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से मिलकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत कायम करवाये जाने रास्ता को खारिज करवाये जाने हेतु मिलीभगत को पूर्णरूप दे दिया गया है तथा प्रार्थी को यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण मे बहस आदि की समस्त प्रकियायें मात्र औपचारिकता है तथा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 से मिलकर विधि का बिना ध्यान रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर देया जावेगा। इस पर प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से विश्वास उठा गया तथा प्रार्थी को इस प्रकार के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नही रही व प्रार्थी के दिमाग मे एक निश्चित धारण बन कर प्रार्थी को अदालत मातहत के उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने मे पूर्णतया आशंका उत्पन्न हो गई। इसलिए प्रार्थी की ओर से दिनांक 25.03.2022 को ही अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी आशंका प्रकट की गई कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है तथा प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे प्रकरण के स्थानान्तरण बाबत कार्यवाही कर इस प्रकरण को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किये जाने की मंशा प्रकट की। इसके बावजूद अदालत मातहत ने प्रकरण मे तारीख पेशी 01.04.2022 दे दी परन्तु प्रकरण मे वांछित कागजात् की नकलें प्राप्त नही होने के कारण प्रार्थी की ओर से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष इस प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सका। दिनांक 08.04.2022 को प्रकरण मे तारीख पेशी दी गई थी। प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय नही मिलने की आशा नही होना प्रकट किया गया तथा इसके लिए एक माह की अवधि का समय दिये जाने का भी निवेदन किया परन्तु अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने प्रार्थी की व्यथा को बिना समझे अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 व पीठासीन अधिकारी के स्वयं के नाजायज हितों की पूर्ति करने की दिशा मे प्रकरण मे बिना सुनवाई किये ही वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दे दी जबकि प्रकरण मे न तो बहस हुई तथा न ही प्रार्थी को उसके प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से कोई न्याय मिलने की आशा ही रही। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के आचरण से भी उसका अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 के साथ साजिश कर प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्व जान बूझकर गलत निर्णय दिये जाने के लिए भरसक प्रयास किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त अनुसार अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से तालमेल स्थापित कर अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 प्रार्थी व उसके अन्य भाईयों को खुले आम धमकियां देने लगे कि वे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नाहक ही खारिज करवा कर उसके अनुसार अपने खेत मे से रास्ता कायम नही करने देंगें। उक्त परिस्थितियों मे प्रार्थी को अदालत मातहत विपक्षी संख्या 5 से न्याय मिलने मे आशंका ( Arrehension ) है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी व उसके भाईयों की ओर से किया गया प्रकरण मु0न0 143/2020 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी विनोद कुमार वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 143/2020 की पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 351 दिनांक 26.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न मे प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है बिन्दू सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे प्रार्थी द्वारा न्याया[illegible] पिछली 2–3 पेशियों से पत्रावली स्थानान्तरण हेतु कहते रहे लेकिन प्रार्थी के वकील [illegible] दस्तावेज पेश नही किया कि पत्रावली स्थानान्तरण की जावे या प्रकरण की कार्यवाही को रोका जावे प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर लगाये गये आरोप गलत है। बिन्दू सं0 4 वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 5 व 6 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके भाइयों राजेश कुमार, विजेन्द्र कुमार की ओर से अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1450/35 तादादी 1.29 हैक्टर जिसमे प्रार्थीगण काफी वर्षो से आबाद है, फसल की सिंचाई हेतु व पीने के पानी हेतु कुआ बनाया हुआ है मे आवागमन हेतु रास्ता कायम किये जाने के लिए अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया जो अदालत मातहत मे लम्बित है। पूर्व मे तहसीलदार चिडावा की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट के बाबत अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से उठाई गई आपत्ति के बाबत पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके बाबत प्रार्थी की ओर से दिनांक 04.03.2022 को उक्त मौका रिपोर्ट गिरदावर के बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अप्रार्थीगण को दी गई तथा प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.03.2022 वास्ते जबाब दी गई। दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब नही दिये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस दरख्वास्त दिनांक 25.03.2022 दी गई। इसी बीच प्रार्थी को जानकारी मिली कि अप्रार्थीगण ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से मिलकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत कायम करवाये जाने रास्ता को खारिज करवाये जाने हेतु मिलीभगत को पूर्णरूप दे दिया गया है तथा प्रार्थी को यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण मे बहस आदि की समस्त प्रक्रियायें मात्र औपचारिकता है तथा अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 से मिलकर विधि का बिना ध्यान रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावेगा। इस पर प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से विश्वास उठा गया तथा प्रार्थी को इस प्रकार के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नही रही व प्रार्थी के दिमाग मे एक निश्चित धारण बन कर प्रार्थी को अदालत मातहत के उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने मे पूर्णतया आशंका उत्पन्न हो गई। इसलिए प्रार्थी की ओर से दिनांक 25.03.2022 को ही अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी आशंका प्रकट की गई कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है तथा प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे प्रकरण के स्थानान्तरण बाबत कार्यवाही कर इस प्रकरण को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किये जाने की मंशा प्रकट की। इसके बावजूद अदालत मातहत ने प्रकरण मे तारीख पेशी 01.04.2022 दे दी परन्तु प्रकरण मे वांछित कागजात् की नकलें प्राप्त नही होने के कारण प्रार्थी की ओर से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष इस प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सका। दिनांक 08.04.2022 को प्रकरण मे तारीख पेशी दी गई थी। प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय नही मिलने की आशा नही होना प्रकट किया गया तथा इसके लिए एक माह की अवधि का समय दिये जाने का भी निवेदन किया परन्तु अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने प्रार्थी की व्यथा को बिना समझे अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 व पीठासीन अधिकारी के स्वयं के नाजायज हितों की पूर्ति करने की दिशा मे प्रकरण मे बिना सुनवाई किये ही वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दे दी जबकि प्रकरण मे न तो बहस हुई तथा न ही प्रार्थी को उसके प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से कोई न्याय मिलने की आशा ही रही। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के आचरण से भी उसका अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 के साथ साजिश कर प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्व जान बूझकर गलत निर्णय दिये जाने के लिए भरसक प्रयास किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त अनुसार अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 ने [illegible] के पीठासीन अधिकारी महोदय से तालमेल स्थापित कर अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 प्रार्थी व उसके अन्[illegible] को खुले आम धमकियां देने लगे कि वे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नाहक ही खारिज क[illegible] खेत मे से रास्ता कायम नही करने देंगें। उक्त परिस्थितियों मे प्रार्थी को अदालत मातहत वि[illegible]संख्या 5 से न्याय मिलने मे आशंका ( Arrehension ) है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी व उसके [illegible] से किया गया प्रकरण मु0न0 143/2020 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित कि[illegible]जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी विनोद कुमार वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टीनेन्सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

(38)

एक्ट मु0न0 143/2020 की पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत मे रास्ते का प्रकरण वर्ष 2020 से लम्बित है। अदालत मातहत को 3 माह मे नियमानुसार प्रकरण मे निर्णय करना था। निर्णय मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। वकील प्रार्थी के आरोप मनगढन्त व बेबुनियाद है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 4 व 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। अदालत मातहत मे वकील प्रार्थी ने प्रकरण की सुनवाई रोक देने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उनवानी विनोद कुमार वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 143/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा उनवानी विनोद कुमार वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0न0 143/2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के न्यायालय में दिनांक 10.10.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:15 IST
Reason: SelfAttested